

**ग्राम पंचायत धवाला, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017**

1. प्रस्तावना (क) :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2017 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत धवाला, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

1	श्री रजनीश कुमार	1-4-2014 से 22-1-2016
2	श्रीमती सुमन कुमारी	23-1-2016 से 31-1-2016

सचिव :-

1	श्री राकेश कुमार	1-4-2014 से 31-3-2017
---	------------------	-----------------------

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत धवाला के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	6	अनुदान का उपयोग न करना	23.85
2	7	प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय	1.09
3	8	मदों को निर्धारित इकाई में क्रय न करना	-----
4	9	मूल्यांकन (Assessment) के बिना भुगतान करना	1.74

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत धवाला, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 15-9-2017 से 19-9-2017 तक ग्राम पंचायत धवाला में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	3/2015	8/2014
2015-16	3/2016	3/2016
2016-17	3/2017	3/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध

करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि . प्र . उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत धवाला , विकास खण्ड देहरा , जिला काँगड़ा के अवधि 4/2014 से 3/2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 234 /2017 दिनांक 19-9-2017 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4 वितीय स्थिति:-

सचिव ग्राम पंचायत धवाला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्रोत :-ग्राम पंचायत धवाला के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्रोतों की वितीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	274958.87	107237	382195.87	89245	292950.87
2015-16	292950.87	67579	360529.87	95447	265082.87
2016-17	265082.87	117869	382951.87	90782	292169.87

(2) अनुदान :-ग्राम पंचायत धवाला के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	1015619.5	2073663	3089282.5	1759625	1329657.5
2015-16	1329657.5	1981676	3311333.5	2867919	443414.5
2016-17	443414.5	3737996	4181410.5	1796707	2384703.5

1 रोकड़ वहि खाता क पैरा 4 (1) का अन्तशेष 292169.87

2 रोकड़ वहि खाता ख पैरा 4 (2) का अन्तशेष 2384703.50

योग 2676873.37

दिनांक 31-03-2017 को बैंक में जमा राशि तथा हस्तगत राशि के अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था

क्र. सं	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	HGB Dehra	1841323	372389.5
2	HGB Dehra	1848229	2779
3	HGB Dehra	1848201	1797124
4	KCCB, DEHRA	20008005592	333935
5	HGB Dehra	87860101846717	45432

6	SBI Dehra	30773323825	85943
7	HDFC Bank Dehra	20274	35350
8	HDFC Bank Dehra	20251	2850

CASH IN HAND AS ON 31-3-2017

1	General Cash Book	800. 87	
2	IWMP Cash Book	270. 00	
	Total	1070. 87	1070. 87
	Grand Total		2676873.37

5 निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान ₹23.85 लाख का उपयोग न करना ; -

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹2384703 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ -साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹1.09 लाख का अधिक व्यय

सचिव ग्राम पंचायत धवाला द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ों तथा वित्तीय स्थिती के अनुसार NC, VMJS में दिनांक 31-03-2017 को ₹109011 ऋणात्मक दर्शाई गयी है। जो कि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन NC, VMJS में अथवा किसी अन्य योजना से NC, VMJS का भुगतान करने के फलस्वरूप है। इस चूक का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करते हुए अनुपलना से अवगत करवाएं।

NC	(-) 95924
VMJS	(-) 13087
योग	(-)109011

8 रेत, बजरी की मदों को निर्धारित इकाई में क्रय न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : पी सी एच -एच (5) सी (15) 313/89 दिनांक 16-7-2016 के अनुसार "ग्राम पंचायत रेत , बजरी , पथर , सीमेंट लकड़ी आदि के क्रय के सन्दर्भ में निर्धारित ईकाई को ध्यान में रखकर क्रय करें जैसे रेत , बजरी निर्धारित क्यूबिक फुट के अनुसार " परन्तु ग्राम पंचायत ने इन मदों का क्रय फेरे के रूप में किया गया न कि निर्धारित ईकाई के अनुसार जिसके उदाहरण नीचे दिए गये हैं जो कि दिशा निर्देशों की अवहेलना होने के अतिरिक्त किसी कार्य में प्रयोग की गई इन मदों की मात्रा को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें तथा भविष्य में नियमानुसार ही क्रय करें।

वा0 सं0	मास	मद का नाम	मात्रा	दर	राशि
MGNREGA					
14	8/2014	बजरा	4 ट्राली	1000	4000
		बजरी	12 ट्राली	1400	16800
		रेत	7 ट्राली	1200	8400
		सोलिंग	9 ट्राली	1000	9000
14/1	8/2014	बजरा	13 ट्राली	1000	13000
		बजरी	5 ट्राली	1400	7000
		रेत	7 ट्राली	1500	10500
		सोलिंग	13 ट्राली	1000	13000
14/2	8/2014	रेत	4 ट्राली	1200	4800
		बजरा	1/2 ट्राली	1000	500
		सोलिंग	1 ट्राली	1000	1000
				योग	88000

9 मूल्यांकन (Assessment) के बिना ₹1.74 लाख का भुगतान :-

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की मूल्यांकन (assessment) के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा ₹173890 का भुगतान मूल्यांकन (assessment) के बिना किया गया। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए मूल्यांकन (assessment) के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए।

वाउचर संख्या	मास	निर्माण कार्य का नाम	राशि
GENERAL CASH BOOK			
127	3/2016	मुरम्मत सामुदायिक भवन रेंटा	21010
129	3/2016	लिंक रोड मेन रोड से करतार सिंह के घर तक	31008
131	3/2016	मुरम्मत सामुदायिक भवन रेंटा	2350
132	3/2016	DANGA नकेड खड्डु वार्ड न 7	20017

134	3/2016	मुरम्मत सामुदायिक भवन रेंटा	14504
90	3/2017	निर्माण पेयजल टंकी नकेड खड्डु नजदीक शिव मन्दिर	16928
101	3/2017	मुरम्मत सामुदायिक भवन रेंटा	15228
NIL	3/2017	वावडी बार्ड 8 रेंटा	13838
NIL	3/2017	निर्माण पेयजल टंकी नकेड खड्डु नजदीक शिव मन्दिर	8771
104	3/2017	लिंक रोड मेन रोड से करतार सिंह के घर तक	11362
IWMP			
10	8/2014	RWHT कुलदीप कुमार	10988
14	3/2017	निर्माण नाली मैं रोड से खड्डु तक	7886
योग			173890

10 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति /पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उद्देश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विन्योजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

11 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों /अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों /अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
3	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)

अतः इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 लघु आपति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

14 निष्कर्ष :- लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-

(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620046

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)137/2017 खण्ड-1-595-598 दिनांक 19.01.2018
शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0
- पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत धवाला, विकास खण्ड देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/-

(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620046

